

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पिटल

इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस

वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|--|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | विरेन्द्र यादव पिता-स्व० राम स्वरूप यादव ग्राम-चेथरूआ बीगहा पो०-संसा थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद ओ.पी.डीनं०-4376/15 | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत। |
| 2 | राजिन्दर त्रिगुना पिता-चंद्रिका त्रिगुना ग्राम-पो०-खीरी थाना-राजपुर जिला-बक्सर ओ.पी.डीनं०-7971/15 | कैंसर रोग | 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 3 | अदालत राउत पिता-स्व. गोपाल राउत ग्राम-कोइरगामा पो०-नरकटियागंज थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण ओ.पी.डीनं०-577/16 | कैंसर रोग | 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 2,60,000/- |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 509273 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।

21/4/16
1/1/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 509273...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

441 (14)

पटना, दिनांक 28-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.3.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बेचन यादव पिता-लुखर यादव ग्राम-पो०-संझाघाट थाना-मीरगंज जिला-पूर्णिमा आरसीन०-201103632370 | गुर्दा प्रत्यारोपण रोग | ₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत। |
| 2 | शशि रंजन कुमार पिता-अरुण कुमार ग्राम-लोकनाथपुर पो०+थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर आर.सी.न०-52914 | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत। |
| 3 | अशोक कुमार साह पिता-हजारी साह ग्राम-कारी कोशी बांध पो०-दिलारपुर, थाना-मनीहारी जिला-कटिहार आरसीन०-201505194601 | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 6,00,000 /- |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000 /-(छः लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509279 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।

21/11/18
17/3/19

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...SD9279...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 440 (14)

पटना, दिनांक - 28-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.3.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आनन्द कुमार पिता-स्व. रामचन्द्र सिंह ग्राम-पो०-हिलालपुर थाना-औद्योगिक क्षेत्र जिला-वैशाली सी.आर.नं०-2013181094 | कैंसर रोग | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 2 | विश्वकर्मा राम पिता-स्व० राम कुमार राम ग्राम-पैगा, पो०-गुन्डी थाना-बड़हरा जिला-भोजपुर सी.आर. नं०-2015458758 | हृदय रोग | विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। |
| 3 | भरत प्रसाद पिता-राधा कृष्ण प्रसाद ग्राम-10/डुमरौव पो०+थाना-डुमरौव जिला-बक्सर सी.आर.नं०-2014330273 | गुर्दा प्रत्यारोपण रोग | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 4 | शंभु ठाकुर पिता-स्व. नथुनी ठाकुर ग्राम-पो०-नरसंडा थाना-चंडी जिला-नालंदा सी.आर.नं०-2016039238 | कैंसर रोग | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत। |
| 5 | फुल कुमारी पिता-चौधरी बिन्द ग्राम-आजीमगंज पो०-घटवारी थाना-धरहरा, जिला-मुंगेर सी.आर.नं०-2015830240 | यकृत रोग | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। |

21/11/13
1/1/14

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| 6 | उमा देवी पति-ईश्वरी सिंह ग्राम-कोल्हुबार पो0-पीपरा थाना-डुमरीया जिला-गया सी.आरनं0-2016054601 | कैंसर रोग | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 7 | वन्दना देवी पति-धर्मन्द्र कुमार राय ग्राम-पो0-बड़की अकोढी थाना-करगहर जिला-रोहतास सी.आरनं0-2016/054907 | स्पाईनल सर्जरी रोग | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत। |
| 8 | प्रह्लाद सिंह पिता-रामानन्द सिंह ग्राम-कोठीया टोलेपुरा पो0-मैठी थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर नं0-2016003583 | हृदय रोग | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| 9 | मो0 अदनान पिता-मो0 शाकीर ग्राम-पो0-नुरपुर थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-2016106016 | यकृत रोग | ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 8,35,000/- |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,35,000/- (आठ लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509271 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

(Handwritten signature)

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....509274 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 28-3-16

ज्ञापांक - 431 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/17
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.11.17